



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 771

दिनांक :- 21.8.2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 321 दिनांक 03.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) ऑनलाईन एवं उसकी हार्ड कॉपी पाँच प्रतियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुयी है। उक्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है—

1. प्रस्ताव के पार्ट-1 के कंडिका-B-2.4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Component wise breakup स्पष्ट नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव के पार्ट-1 के कंडिका-C में DGPS Map अपलोड नहीं है। इसे अपलोड किया जाना आवश्यक है।
3. प्रस्ताव में Barest in minimum use of forest land संबंधी वचनबद्धता अप्राप्त है।
4. प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में Violation नहीं किये जाने का वचनबद्धता अप्राप्त है।
5. विषयगत प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक (Alternative) मार्ग का KML अनुपलब्ध है। Alternative के Option-2 में अधिसूचित वनभूमि का रकवा शून्य एवं जंगल-झाड़ 0.113 एकड़ है। जबकि प्रस्तावित परियोजना के लिये अधिसूचित वनभूमि 15.25 एकड़ एवं जंगल-झाड़ भूमि 1.55 एकड़ दर्शाया गया है। Alternative के Option-2 को प्रस्तावित क्यों नहीं किया गया है।
6. विदित हो कि चकला कोल ब्लॉक हेतु एक अन्य प्रस्ताव खनन (503.578 हे०) के लिये प्रस्तावित है, जिसके Item wise breakup में सड़क, रेल एवं Infrastructure-30.0 हे० वनभूमि का रकवा भी सम्मिलित किया गया है। उसके अतिरिक्त चकला कोल ब्लॉक के लिये प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु अलग से 6.80 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) समर्पित है। इस तरह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि अपयोजन के लिये कुल दो परियोजनायें समर्पित किया गया है। जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाईडलाईन दिनांक 29.12.2023 के चैप्टर-7 के अनुसार उपरोक्त दोनो परियोजनाओं के लिये एक ही समेकित प्रस्ताव समर्पित किया जाना वांछनीय है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

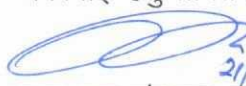
ह0/-

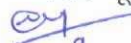
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 771

दिनांक :- 21.8.2024

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/मेसर्स हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0, वंसुधरा मेगा मार्ट, द्वितीय तल, निकट अरगोड़ा चौक, अरगोड़ा, राँची, झारखण्ड-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/8/24
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


21.8